

भारत- भ्रातृभूमि  
भाष्य ही

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
क्रमांक 1404, /न्याय/आरटीआई/18 दिनांक 3, जुलाई, 2018

श्रीमति तृप्ति जैन  
निवासी के-9, द्वितीय फ्लोर  
बीरबल रोड, जगपुरा विस्तार  
नई दिल्ली-110014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र दिनांक 11.04.2018

उपरोक्त विषयन्तर्गत आपके प्रासांगिक प्रार्थना पत्र द्वारा चाही गई सूचना की प्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

क्रमांक /न्याय/आरटीआई/18 दिनांक जुलाई, 2018  
प्रतिलिपि:-

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
एवं लोक सूचना अधिकारी,  
सीकर

- 1- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन संयुक्त सचिव गृह(आपदा प्रबंधन) विभाग शासन सचिवालय जयपुर (राजस्थान) को उनके पत्र क्रमांक 38(11)गृह-9/2018 दिनांक 19.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
- 2- लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) कलेक्ट्रेट, सीकर को पत्र क्रमांक आर.टी.आई./जे.एल.ओ./आर-21 दिनांक 23.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
एवं लोक सूचना अधिकारी,  
सीकर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कमांक: न्याय/2017/स्पे-1

दिनांक: 01.09.2017

आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता


अधोहस्ताक्षरकर्ता को जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सीकर जिले के उपखण्ड क्षेत्र फतेहपुर एवं उपखण्ड क्षेत्र, रामगढ़ शेखावाटी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मिडिया पर अफवाह हैं फैलाई जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सामाजिक सदभाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोक शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सदभाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सदभाव एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मैं नरेश कुमार ठकराल, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के उपखण्ड क्षेत्र फतेहपुर एवं उपखण्ड क्षेत्र, रामगढ़ शेखावाटी के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर कोतवाली/सदर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 2G/3G/4G/Data, internet Services, bulk SMS/MMS/Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by internet service Providers (except voice call of Landline and mobile Phone) पर प्रतिबन्ध हेतु निरोधात्मक होने वाले निषेधाज्ञा लागू करता हूं।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2017 को रात्रि 11.30 बजे से आगामी 24 घंटे तक जिले के उपखण्ड क्षेत्र फतेहपुर एवं उपखण्ड क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर कोतवाली/सदर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

  
(नरेश कुमार ठकराल)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
दिनांक: 01.09.2017

कमांक: न्याय/2017/स्पे-1

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सभारीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. गहानिरीक्षक, पुलिस रेंज जयपुर
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
5. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जाये।
6. अतिथि जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
7. मुख्य कार्यालयी अधिकारी जिला परिषद, सीकर
8. समस्त कार्यालयक मजिस्ट्रेट
9. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट
10. समस्त तहसीलदार एवं कार्यालयक मजिस्ट्रेट
11. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर
13. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
14. आयुक्त नगर परिषद, सीकर/समस्त अधिकारी अधिकारी नगर पालिका
15. निजी सहायक, जिला कलवटर, सीकर
16. संबंधित थानाधिकारी.....को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर)
17. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड लि. ऐयरटेल, वोडाकॉन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलायन्स जिला अदि को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर)
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/तहसील कार्यालय पर चर्चा हेतु।

  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

राजस्थान सरकार,  
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

क्रमांक: न्याय/2017/ 1712

दिनांक: 02.09.2017

आदेश


जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर ने पत्र क्रमांक सीकर/जि.वि.शा/2017/3050 दिनांक 02.09.2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सीकर जिले के उपखण्ड क्षेत्र, रामगढ़ शेखावाटी में दो समुदायों में झगड़ा होने के मध्यनजर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शांति भंग होने तथा सामाजिक रौहार्द प्रतिकूल रूप से बांधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर के आदेश संख्या एफ.35(1)Home-9/2006 pt. दिनांक 02.09.2017 के तहत, Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules,2017 के नियम 2(1) के क्रम में, माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को प्रदत्त, Telecom Services के अस्थाई निलम्बन की शक्तियों के अनुसरण एवं माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर के अनुमोदन से, मैं नरेश कुमार ठकराल, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर जिले के उपखण्ड क्षेत्र फतेहपुर एवं उपखण्ड क्षेत्र, रामगढ़ शेखावाटी के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर कोतवाली/सदर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 2G/3G/4G/Data, internet Services, bulk SMS/MMS/Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by internet service Providers (except voice call of Landline and mobile Phone) पर अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह सकाम प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2017 को सायं 06.00 बजे से आगामी 48 घंटे तक, जिले के उपखण्ड क्षेत्र फतेहपुर एवं उपखण्ड क्षेत्र रामगढ़ शेखावाटी के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर कोतवाली/सदर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2017 को माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर के अनुमोदन पश्चात, मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

  
(नरेश कुमार ठकराल)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिनांक: 02.09.2017

क्रमांक: न्याय/2017/ 1712

निम्न को सूचनार्थी एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज जयपुर
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
5. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
6. अंतिम जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सीकर
8. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट
9. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट
10. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
11. समस्त बिकास अधिकारी पंचायत समिति
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर
13. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
14. आयुक्त नगर परिषद, सीकर/समस्त अधिकारी अधिकारी अधिकारी नगर पालिका
15. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, सीकर
16. संबंधित थानाधिकारी..... को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर)
17. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड लि. ऐयरटेल, बोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलायन्स जिला अदि को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर)
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/तहसील कार्यालय पर चर्चा हेतु।

  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कानूनी नियम / 2017 / 1788

संस्कृतादि साहित्य  
काव्यलेख लिखा अग्रिमेन्ट चीकार

備註: 10.09.2017

गुरु

पिंड पुनिमा शारीरिक, दौलतर मे यह कमान दीवार, विविध / २०१७ / ३५४९ विवाह १०.९.२०१७ हारा यह  
ज्ञातवाय करता है कि दीवार विलो मे अद्वितीय मासांकी विनाम यहाँवाला दुष्ट विनियम गांधी की जेवर विवाह १३.२०१७  
से कुछ दूरज वही सेवक ने अनिवार्यतावालीन महायज्ञ उत्तम रखा है। इसी क्रम से दिवाह ११.९.२०१७ को विवाह  
फलंगटूर, दीवार जा अनिवार्यतावालीन दीवार य एस्ट्रेच/स्ट्रेट हाईवे/गांधी मे भी यज्ञमाला यात्रा करने वा यात्राक्रम  
परसारित है। उपर्युक्त विविधताओं मे नवदूषकर यात्रा आवश्यक की विवाह प्राप्तिक थीने, दूसरी प्राप्ति भी हीने तथा  
रामायणिक संस्कृत प्रतिकृत लक्ष जो यात्रियों द्वारा अक्षया करने ही रखती है। ऐसी विवाह मे यज्ञमाला यज्ञमाला  
सामाजिक शीर्षाव एव द्वारे वापरे जाने के बावजूद

मैं नार्दी नामिकाओं को इस अंदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के नियंत्रण देता हूँ कि वहाँ कोई उपकुप्त प्रतिक्रियात्मक अंदेशों का प्राप्तांगन करेगा, तो वह साथम प्राप्तांगों और अवहेलन के बीच व्यापक सम्बन्ध हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.05.2017 को उत्तरी 11:30 प्र० बजे से असामी 24 घंटे तक सभी राज्य के प्रमुख सम्पर्क विभागों द्वारा लगातार प्रसिद्ध किया जाएगा।

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

- 10/09/2017
1. प्रमुख आयत विभाग यूनिसेफ, भारत सरकार, जगभूर।  
 2. संस्कृतीय आकृति, लक्ष्मीपुर नवाचार, लक्ष्मीपुर।  
 3. वाहिनीवाल, पुरिपुर वेल व्यवस्था।  
 4. बायांग विलास अधिकारीट, उद्धरणार्थ।  
 5. विद्या पुरिस अधीकारी, दीपदर योग, प्रेषण कर देते हैं तो उन्होंना जारीए लंसिंग लगाता हुआ अधिकारियों को पतला सुनिश्चित करते हैं तो उन्होंने कहा।  
 6. अंडी विलास मंजिलार, लीकब  
 7. पूर्ण लक्ष्मीपुरी अधीकारी विलास परिवर्य, लीकब  
 8. लक्ष्मी लालांगांग अधीकारीट  
 9. गालो उद्धरणार्थ वाहिनीवाल  
 10. अंडी विलास लक्ष्मीपुरी अधीकारी  
 11. लंसिंग विलास अधीकारी विलास लंसिंग  
 12. गालो उप पुरिस अधीकारी, विलास लीकब  
 13. मंजिलार विलास, लक्ष्मीपुर विलास, लीकब की उपायक त्रिवेळ-इमार हैं।  
 14. लक्ष्मीपुर विलास, लीकब/लालांग अधीकारी विलास लालांग  
 15. विद्या लालांग, विलास लक्ष्मीपुर, लीकब  
 16. मंजिलार लालांगवाल  
 17. लंसिंग अधीकारी, लंसिंग लालांग लंसिंग विलास पुरिस अधीकारी, लीकब। लंसिंग विलास विलास विलास लंसिंग विलास पुरिस अधीकारी लीकब।  
 18. विद्या लंसिंग, लालांगवाल/पुरिस अधीकारी लालांग/लालांग उपकारक/लंसिंग विलास विलास पर व्यवस्था।

卷之三

## कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांक:-एफ 17/14 न्याय/Int.Susp./2018/ २५७५-१८ दिनांक २५/५/१८

✓ श्रीमती तृप्ति जैन,  
निवासी के-9, द्वितीय फ्लोर,  
बीरबल रोड, जंगपुरा विस्तार,  
नई दिल्ली-110014

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत श्रीमती तृप्ति जैन, निवासी के-9, द्वितीय फ्लोर, बीरबल रोड, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली-110014 द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शासन संयुक्त सचिव, गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 19.04.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित कर, बिन्दु संख्या 1 से 6 तक सूचना उपलब्ध कराने बाबत अंतरित किया है। आप द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	How many times have internet services been suspended pursuant to Government order in the state of Rajasthan since 7th August, 2017 till date?	<p>उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों क्रमशः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द एवं उदयपुर जिलों में लोकशांति भंग होने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति को सुचारू बनाये रखने बाबत निम्नांकित आदेशों से इन्टरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से बन्द की गई और इनकी निरन्तरता में निम्नांकित आदेशों से अस्थाई निषेधाज्ञा अवधि को बढ़ाया गया—</p> <p><u>जिला: बांसवाड़ा</u></p> <p>7 अगस्त, 2017 से आदिनांक तक जिला बांसवाड़ा में इन्टरनेट बन्द किये जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा लागु नहीं की गई।</p> <p><u>जिला: चित्तौड़गढ़</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/8939-51 दिनांक 02.12.2017 से दोपहर 04:00 बजे से 24 घण्टे तक के लिए चित्तौड़गढ़ जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</li> <li>इसी क्रम में संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/8952 दिनांक 03.12.2017 से</li> </ol>

(4)

राजस्थान-सरकार  
कायलिय जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

क्रमांक / विधि / 2017 / 9110  
संभागीय आयुक्त,  
जोधपुर।

दिनांक: 28/10/17

विषय:—जालोर जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने हेतु  
इंटरनेट सेवा बन्द करवाने बाबत।

प्रसंग:—जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर को पत्र क्रमांक / 2017 व दिनांक  
28.10.2017

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि, प्रासंगिक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) से जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर द्वारा अवगत कराया गया है, कि जालोर जिले के सांचौर थाना क्षेत्र में दिनांक 27.10.2017 को आन्ध्रप्रदेश पुलिस द्वारा उनके मामले में वाछिंत आरोपी भीमसिंह पुत्र शम्भूसिंह, जाति राजपुत, निवासी भागल भीम, पुलिस थाना भीनमाल व भरत पुत्र श्री संगताराम, जाति राजपुरोहित, निवासी बीछावाड़ी, पुलिस थाना सरवाना का पीछा करते वक्त आरोपी व आन्ध्रप्रदेश पुलिस के बीच हुई फायरिंग के कारण भीमसिंह की मृत्यु हुई है एवं शान्ति पत्नी श्री बाबुलाल, जाति जोगी, निवासी तातोंल, पुलिस थाना तातोंल की गाड़ी की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है।

उक्त घटनाक्रम के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति तनाव पूर्ण होने से सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary suspensions of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 दिनांक 7 अगस्त 2017 के नियम 2(1) के तहत गृह(ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश संख्या एफ 35(1)होम-9/2006 दिनांक 02.09.2017 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत 2G/3G/4G, Internet Data, Bulk SMS/MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Messenger, Telegram, Instagram, Imo and All Other Social Media by Internet Service Providers (Except Voice Call Of Landline and Mobile Phones) पर दिनांक 28.10.2017 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 29.10.2017 प्रातः 10 बजे तक प्रतिबन्ध लगाया जाना उचित है, ताकि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*(ए.ल.एन.सोनी)*  
जिला मजिस्ट्रेट  
जालोर  
दिनांक: 28/10/17

क्रमांक / विधि / 2017 / 9111

प्रतिलिपि:—जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*G.S.*  
जिला मजिस्ट्रेट  
जालोर

Issued Under RTI Act. 2005

*28/10/2017 10.10 AM*

क्रमांक / न्याय / 2017 / 525

राजस्थान सरकार  
कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (पृष्ठा १०)

दिनांक 06.12.2017

-आदेश-

अधोहस्ताकरकर्ता को जिला कलवटर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द द्वारा यह अधिकार कराया गया है कि आज दिनांक 06.12.2017 को राजसमन्द कस्बे में एक युवक की हत्या एवं उसका विडीयो वाद्दसअप पर वायरल होने से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मिडिया पर अनेक प्रकार की अफवाह फैलाई जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्रादायिक सद्भाव को बिगड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोकशांति भंग होने और कानून व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाली किया जाना आवश्यक है।

अतः आज हुई उक्त घटित हुई घटना से राजसमन्द जिले में साम्रादायिक सौहार्द बिगड़ने एवं उपरोक्त परिस्थितियों को दूरिकरण रखते हुए मैं, भवानी सिंह देथा, संभागीय आयुक्त, उदयपुर, राज्य सरकार के गृह विभाग (पृष्ठा १०) के आदेश क्रमांक / 35(1) (Home-9)/2006 Pt. जयपुर दिनांक 02.09.2017 के तहत प्रदत्त शान्तियों (In exercise of the powers conferred by Rule 2(1) of the Temporary suspension of Telecom Services (Public emergency or Public safety Rules 2017)) का प्रयोग करते हुए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2G/3G/4G Data, Internet Services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, Facebook, Twitter and other Social media by internet service providers (except voice call of land line and mobile phone) पर आगामी इस आदेश के लागू होने की तिथि एवं समय से 24 घण्टे से अनाधिक अस्थाई निवेद्याज्ञा (Temporary Suspension) जारी की जाती है।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 06.12.2017 को रात्रि 09.00 बजे से आगामी 24 घण्टे के लिए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

(भवानी सिंह देथा)  
संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर

दिनांक 06.12.2017

क्रमांक / न्याय / 2017 / 525

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

- श्रीमन मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमन प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुरको ३३८६१११८
- महानियोगी, पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
- जिला कलवटर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।
- समस्त जिला मजिस्ट्रेट .....
- पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों तथा जिले के नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनीज को पालना सुनियन्त करने हेतु भेजा जावे।
- उपचार मजिस्ट्रेट, जिला राजसमन्द .....
- समस्त पुलिस उप अधीक्षक .....
- जिला राजसमन्द।
- समस्त धानाधिकारी .....
- नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायन्स, जिओ को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक राजसमन्द)।
- नोडल बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील कार्यालय पर वसा हेतु।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द।

संभागीय आयुक्त,

सूचना का अधिकार 05 के लिए  
प्रमाणित प्रति

कार्यालय अधीक्षक  
जिला कलवटर कार्यालय  
राजस्थान

14/12/17 23:01

HP LASERJET FAX

02942410834

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज०)

दिनांक 14.12.2017

क्रमांक / न्याय / 2017 / 534

-आदेश:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता को, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा आज दिनांक 14.12.2017 को यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.12.2017 को राजसमन्द कस्बे में एक युवक की हत्या एवं उसका विड़ीयो वाट्सअप पर वायरल होने से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मिडिया पर अनेक प्रकार की अफवाह फैलाने तथा इसी क्रम में दिनांक 15.12.2017 को पुनः राजसमन्द शहर में बिना अनुमति के जुलूस निकालकर शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर, साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने तथा उक्त जुलूस में अधिक से अधिक लोगों को हथियार के साथ जुलूस में आने के मैसेज सोशल मिडिया (फेसबुक) पर प्रसारित किये जाने की संभावना से लोकशांति भंग होने और कानून व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त क्रम में राजसमन्द जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने एवं उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं, भवानी सिंह देथा, संभागीय आयुक्त, उदयपुर, राज्य सरकार के गृह विभाग (पृष्ठ-9) के आदेश क्रमांक / 35(1) (Home-9)/2006 Pt. जयपुर दिनांक 02.09.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों (In exercise of the powers conferred by Rule 2(1) of the Temporary suspension of Telecom Services (Public emergency or Public safety Rules 2017)) का प्रयोग करते हुए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2G/3G/4G Data, Internet Services, Bulk SMS/MMS/WhatsApp, Facebook, Twitter and other Social media by internet service providers (except voice call of land line and mobile phone) पर आगामी इस आदेश के लागू होने की तिथि एवं समय से 24 घण्टे से अनाधिक अस्थाई निषेधाज्ञा (Temporary Suspension) जारी की जाती है।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो निवानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 15.12.2017 को शत्रि 11.00 बजे से आगामी 24 घण्टे के लिए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

(भवानी सिंह देथा)  
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

दिनांक 14.12.2017

क्रमांक / न्याय / 2017 / 534

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

1. श्रीमान गुरुख सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।

2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ।

3. महानिरीक्षक, पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।

4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।

5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट ..... राजस्थान।

6. पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश सम्बन्धित समस्त पुलिस अधिकारियों

जिले के नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनीज़ को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।

7. उपर्युक्त मजिस्ट्रेट, जिला राजसमन्द ..... जिला राजसमन्द।

8. समस्त पुलिस उप अधीक्षक।

9. आयुक्त नगरपरिषद, राजसमन्द।

10. समस्त शानाधिकारी ..... जिला राजसमन्द।

11. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत, संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एय

टाटा डोकोमो, रिलायन्स, जिओ को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक राजसमन्द)।

12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपर्युक्त/समस्त तहसील कार्यालय

चासा हेतु।

13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर

राजस्थान सरकार

१५

(५)

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज०)

०५१५

४६

राजस्थान सरकार

दिनांक 14.12.2017

क्रमांक/न्याय/2017/535

-:: संशोधित आदेश:-

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश 534 दिनांक 14-12-2017 में आंशिक संशोधन करते हुए अन्तिम पेरा "सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 15.12.2017 को रात्रि 11.00 बजे से आगामी 24 घण्टे के लिए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा" के स्थान पर "मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 14.12.2017 को रात्रि 11.00 बजे से आगामी 24 घण्टे के लिए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा, पढ़ा जावे।

(भवानी सिंह) देवा  
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

दिनांक 14.12.2017

क्रमांक/न्याय/2017/535

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ।
3. महानीरीक्षक, पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट ..... राजस्थान।
6. पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश सम्बन्धित समस्त पुलिस अधिकारियों तथा जिले के नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनीज़ को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला राजसमन्द ..... जिला राजसमन्द।
8. समस्त पुलिस उप अधीक्षक..... जिला राजसमन्द।
9. आयुक्त नगरपरिषद, राजसमन्द।
10. समस्त धानाधिकारी ..... जिला राजसमन्द।
11. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, टाटा ड्यॉकोमो, रिलायन्स, जिओ को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक राजसमन्द)।
12. नोट्स बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील कार्यालय पर चर्चा हेतु।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर

सूचना का अधिकार ०५ के लक्ष्य

प्रमाणित प्रति

कार्यालय अधीक्षक  
जिला कलक्टर कार्यालय  
राजसमन्द

E-Mail

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद (राजस्थान)

क्रमांक: एफ.17/4(4)/सू.अ./न्याय/2018/३७५।

दिनांक: ०१ अप्रैल, 2018  
०१ जून

प्रेषिति:-

लोक सूचना अधिकारी  
अति. जिला कलक्टर  
राजसमंद

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रतिलिपि बाबत् ।

महोदय,

विषयान्तर्गत सुश्री तृप्ति जैन, के-९ द्वितीय फ्लोर बिरबल रोड जंगपुआ विस्तार नई दिल्ली द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इन्टरनेट सेवाओं को ०७ अगस्त, २०१७ से आज दिनांक तक कब-कब निलंबन किया गया है, निलंबन आदेश की सूचना सहित निलंबन आदेश की प्रतिया चाही गई। राजसमंद जिले में दिनांक ०७ अगस्त, २०१७ से आज दिनांक तक इन्टरनेट सेवाएं दिनांक ०६ दिसम्बर, २०१७ को रात्रि ०९.०० बजे से ०८.१२.२०१७ को रात्रि ०९.०० बजे तक व दिनांक १४.१२.२०१७ को रात्रि ११.०० बजे से दिनांक १५.१२.२०१७ को रात्रि ११.०० बजे तक बंद की जाने से संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर द्वारा जारी आदेश की प्रतिया संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न— यथोक्त।

भवदीय,

29  
(बृजमीहन बैरवा)  
अति.जिला मजिस्ट्रेट,  
राजसमंद

सूचना का अधिकार ०५ के तहत  
प्रमाणित प्रति

कार्यालय अधिकार  
जिला कलक्टर कार्यालय  
कार्यालय

(3)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

E-mail-divcomum-jodh-rj@nic.in दूरभाष-0291-2650540, फैक्स-0291-2650357)

क्रमांक:न्यायिक / सम्भाग इंटरनेट सेवा / 18/327

दिनांक: 11 फरवरी, 2018

## :: आदेश ::

जिला मजिस्ट्रेट, जालोर के पत्र क्रमांक: 1449 दिनांक 10.02.18 में किए गए अनुरोध के आधार पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 305-312 द्वारा दिनांक 11.2.18 को दो पारियों (प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)-2017 की गोपनीयता सुनिश्चितता, पारदर्शिता को बनाए रखने हेतु जिले में जालोर, आहोर एवं भीनमाल में दिनांक 11.02.18 को प्रातः 9:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं मध्याह्न पश्चात दोपहर 1:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई रूप से निलम्बित किया गया था।

चूंकि अब उक्त परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अतः गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान के आदेश संख्या एफ.35(1) गृह-9/2006 दिनांक 2.9.17 में प्रदत्त शक्तियों (In exercise of powers conferred by Rule 2 (1) of Temporary suspensions of Telecome Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017) के तहत जिले में जालोर, आहोर एवं भीनमाल में 2G/3G/4G/Data Internet Services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by Internet Service Providers (with voice call of Landline, Mobile phone and all lease line) सेवाओं को दिनांक 11.2.18 को सायं 5:00 बजे से पुनः बहाल किया जाता है।

यह आदेश सम्भागीय आयुक्त महोदय की आज्ञा से आज दिनांक 11.2.18 को जारी किया जाता है।

अति सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर

दिनांक: 11 फरवरी, 2018

क्रमांक: समसंख्यक / 18/328 से 333

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान, जयपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
3. जिला मजिस्ट्रेट, जालोर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर को प्रेषित कर लेख है कि इस घंबंध में जिले में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जावे।
5. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो, कप्पा आदि को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर)
6. आदेश पत्रावली

अति सम्भागीय आयुक्त,  
जोधपुर

Issued Under RTI Act, 2005

Public Information Office:  
(Addl. Distt. Collector)  
Jalore (Raj.)

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

जिला

धौलपुर

(राज0)

दिनांक:- 10.02.2018

क्रमांक:- ५५५।

जिला कलक्टर,  
धौलपुर।

विषय:- दिनांक 11.02.2018 को आयोजित रीट परीक्षा 2017 के  
दौरान इन्टरनेट की सुविधा बन्द कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान  
अजमेर द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2017) की लिखित परीक्षा दिनांक 11.02.2018  
रविवार को दो पारियों में आयोजित की जावेगी। प्रथम पारी सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30  
बजे तक एवं द्वितीय पारी 02:30 बजे से 05:00 बजे सायं तक आयोजित की जावेगी। उक्त  
परीक्षा के दौरान नकल कराने में सक्रिय गैंग/व्यक्तियों द्वारा इन्टरनेट (सोशल मीडिया) पर  
इनकी सक्रियता को निष्क्रिय किये जाने हेतु कल दिनांक 11.02.2018 को समय 09:00 ए0एम0  
से 11.00 ए0एम0 तक एवं समय 01:00 पी0एम0 से 03:00 पी0एम0 तक धौलपुर शहर एवं कस्बा  
बाड़ी में इन्टरनेट सुविधा बन्द करवाई जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार समय पर इन्टरनेट सुविधा बन्द करवाये जाने हेतु  
रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

१८०  
(राजेन्द्र वर्मा)  
अतिथि पुलिस अधीक्षक,  
धौलपुर।

Feucl  
10/2/18

सूचना का अधिकार अधिनियम  
2005 के अन्तर्गत प्रदत्त सूचना

कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

क्रमांक : न.90( )संआवी/ का.व्य./ 2018/

दिनांक: 02.4.2018

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एकट में संशोधन के निर्णय के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 2.4.2018 को भारत बंद का आवाहन किया गया है। बीकानेर संभाग में उपरोक्त कार्यक्रम को देखते हुए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा कुछ स्थानों पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित हुई गंभीर घटनाओं के कारित होने, अफवाहों को फैलाने की संभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिलों में इन्टरनेट सेवा पर तत्काल प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है।

अतः बीकानेर संभाग में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने एवं अफवाहों को फैलाने की संभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) के दूरसंचार अस्थाई सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम 2017 (अधिसूचना दिनांक 7.8.2017) के नियम 2(1) के तहत गृह (गृह-9) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या एफ 35 (1)गृह-9/2006 दिनांक 2.9.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिलों में 2G/3G/4GData, Internet Services, bulk SMS/MMS/ Whatsapp, Facebook, Twiter and other Social Media by internet Service providers (Except voice call of landline and mobile phone) सेवाओं को दिनांक 2.4.2018 को दोपहर 2.30 बजे दिनांक 3.4.2018 को साय 5.00 बजे तक अस्थाई रूप से निलंबित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 02.4.2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(अनिल गुप्ता)  
संभागीय आयुक्त, बीकानेर

क्रमांक : सीबी/न्याय/2018/ 293 - 315

दिनांक: 02.4.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. महानिरीक्षक, पुलिस रेज, बीकानेर
4. जिला नोडल अधिकारी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में सम्पूर्ण करायें। बीकानेर जिला क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों से रामन्य स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करायें।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एसटीएस, टाटा, रिलायन्स, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू
8. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू

(अनिल गुप्ता)  
संभागीय आयुक्त, बीकानेर

सूचना का अधिकार अधिनियम  
2005 के अन्तर्गत प्रकल्प सूचना

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

दिनांक : 10.02.2018

क्रमांक : प.७( )संआवी/का.व्य./2018/०५

### आदेश

दिनांक 11.2.2018 को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2017 आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में गोपनीयता, शुचिता, पारदर्शिता को बनाये रखने हेतु टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा इन्टरनेट सेवाएं प्रतिबंधित करना काफी कारगर सिद्ध हुआ है, इसी क्रम में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 11.02.2018 को प्रातः 9:00 से 12:00 बजे तक एवं मध्याह्न पश्चात 1:00 बजे से 4:00 बजे तक टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा इन्टरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने हेतु संभाग के जिला कलक्टर्स द्वारा अनुरोध किया गया है।

अतः राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2017 की गोपनीयता, शुचिता, पारदर्शिता एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम 2017 (अधिसूचना दिनांक 7.8.2017) के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप-१) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या एफ35(1)गृह-१/2006 दिनांक 2. 9.17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में 2G/3G/4GData, Internet Services, bulk SMS/MMS/ WhatsApp, Facebook, Twitter and other Social Media by internet Service Providers (Except voice call of landline and mobile phone) सेवाओं को दिनांक 11.02.18 को प्रातः 9:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं मध्याह्न पश्चात 1:00 बजे से 4:00 बजे तक अस्थायी रूप से निलम्बित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 10.2.18 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

  
(अनिल गुप्ता)  
संभागीय आयुक्त, बीकानेर

दिनांक 10.2.2018

क्रमांक: सम/  प्रेषित हेतु प्रेषित है:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर
4. जिला कलक्टर एवं जिला भजिस्ट्रेट, बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़
5. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में रांचित क्षेत्र संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करवाई जाये।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
7. नोडल अधिकारी टेलीकॉम कंपनी, भारत संचार नियम लिंग, एप्टेल, बोडफोन, आईडिया, एयरसेल, एसटीएस, टाटा, रिलायस रिलायस जियो एवं क्षेत्र में संचालित समर्त टेलिकॉम कम्पनियों को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक वीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़)
8. जिला जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़

संभागीय आयुक्त, बीकानेर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, रु

क्रमांक: स्पै-1 / न्याय / 2018

दिनांक: 10.02.2018


आदेश

जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर ने पत्र क्रमांक सीकर/2018 दिनांक 10.02.2018 द्वारा यह अवगत कराया है कि सीकर जिले में दिनांक 11.02.2018 को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में अफवाह फैलाई जाने की आशंका है। अतः परीक्षा में सूचिता, पारदर्शिता बनाये रखने एवं परीक्षा/प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने हेतु तालिका नियोजितमक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिकोण सूचिता हुये, शारन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर के आदेश संख्या एफ.35(1)Home-9/2006 pt. दिनांक 02.09.2017 के तहत, Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules,2017 के नियम 2(1) के क्रम में, माननीय सभामीय आयुक्त महोदय को प्रदत्त, Telecom Services के अस्थाई नियमग्रन्थी की शावितरीयों के अनुसरण एवं माननीय सभामीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर के अनुमोदन से, मैं नरेश कुमार ठकराल, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर जिला सीकर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 2G/3G/4G/Data, internet Services, bulk SMS/MMS/Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by internet service Providers (except voice call of Landline and mobile Phone and landline Internet) पर अस्थाई प्रतिबन्ध लागू करता हूँ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अद्वेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धमक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह राजस्थानवाचों के अन्वर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2018 की 02.00 AM वजे से 06.00 PM वजे तक, सीकर जिले के समस्त पुलिस थाना थेट्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2018 को माननीय सभामीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर के अनुमोदन पश्चात, मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

  
(नरेश कुमार ठकराल)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिनांक: 10.02.2018

क्रमांक: स्पै-1 / न्याय / 2018

निम्न को शब्दनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. प्रापुरु शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सभामीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. महानियीक, पुलिस ईज जयपुर
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
5. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संवित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु मेजा जाय।
6. अंतिम जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
7. मुख्य कार्यालयी अधिकारी जिला परिषद, सीकर
8. समस्त उपरखण्ड मजिस्ट्रेट
9. समस्त उपरखण्ड मजिस्ट्रेट
10. समस्त तहसीलदार एवं अध्यापक मजिस्ट्रेट
11. समस्त विकास अधिकारी विभाग अधिकारी
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर
13. सहायक नियंत्रक, सूचना एवं जन सापर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रभाव-प्रसार हेतु।
14. आयुक्त नगर परिषद, सीकर/ समस्त अधिकारी अधिकारी नगर पालिका
15. निजी सहायक, जिला कल्याण, सीकर
16. संबंधित धानाधिकारी
17. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत रांचार निगम लिमिटेड लि. एयरटेल, बोडाकोन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा रिलायन्स जिला अदि को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर)
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / पुलिस अधीक्षक कार्यालय / समस्त उपरखण्ड/ तहसील कार्यालय पर चस्ता हेतु।

  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला मणिस्ट्रे

क्रमांक: ५४० /न्याय/2018

दिनांक: 24.03.2018

142

आदेश


जिला पुलिस अधीकार, सीकर ने पत्र क्रमांक सीकर/2018/डीएसबी/988 दिनांक 24.03.2018 ने उपखण्ड मणिस्ट्रेट, सीकर व यूटीक्सिकारी सीकर शहर, सीकर की संयुक्त प्रतिवेदन क्रमांक रीकर/2018/स्प-१ दिनांक 24.03.2018 रहित यह अवगत कराया है कि सीकर जिले में दिनांक 25.03.2018 को विशाल समनवारी का जूलूस निकाला जायेगा, किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा फैसलुक एवं वाट्सएप पर की गई संवेदनशील आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये, जिला सीकर सम्पूर्ण रीमा क्षेत्र में दिनांक 24.03.2018 की भव्यरात्रि 12.00 बजे से आगामी 24 घंटे की अवधि के लिए इंटरनेट प्रतिवधा लगाने की अनुशंसा की है।

अतः उपरोक्त प्रतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर के आदेश संख्या एफ.35(i)Home-१/2006 pt. दिनांक 02.09.2017 के तहत, Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules,2017 के नियम 2(1) के क्रम में, माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को प्रदर्श, Telecom Services के अस्थाई नितम्बन की शक्तियों के अनुसरण एवं माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर के अनुमोदन संघर्ष के अनुमोदन से, में नरेश कुमार ठकराल, जिला मणिस्ट्रेट, सीकर जिला सीकर के सम्पूर्ण रीमा जिला क्षेत्र में 2G/3G/4G/Data, internet Services, bulk SMS/MMS/Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by internet service Providers (except voice call of Landline and mobile Phone and landline Internet) पर अस्थाई प्रतिवधा लागू करता है।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्दश देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिविधियों का उल्लंघन करेगा, तो वह सभाम प्राक्तनों के अन्तर्गत अधियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2018 को सात्रि 12.00 बजे से दिनांक 25.03.2018 को सात्रि 12.00 बजे तक, सीकर जिले के समरत पुलिस थाना क्षेत्रों की सम्पूर्ण रीमा जिला में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2018 को माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर के अनुमोदन पश्चात, मेरे हारताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

  
(नरेश कुमार ठकराल)  
जिला मणिस्ट्रेट, सीकर  
दिनांक: 24.03.2018

क्रमांक: ५४०/न्याय/2018

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनश्वर्य प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. महानिशीकार, पुलिस रेजि जयपुर।
4. समरत पुलिस अधीकार, सीकर को प्रेषित कर लेया है कि उक्त आदेश संबंधित समरत पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जाये।
5. अतिथि जिला मणिस्ट्रेट, सीकर।
6. भूख्य कार्यकारी अधिकारी पुलिस अधिकारी, सीकर।
7. समरत पुलिस अधीकार, मणिस्ट्रेट।
8. समरत उपखण्ड मणिस्ट्रेट।
9. समरत उपखण्ड मणिस्ट्रेट।
10. समरत तहसीलाधार एवं कार्यपालक मणिस्ट्रेट।
11. समरत विकास अधिकारी पंचायत समिति।
12. समरत उप पुलिस अधीकार, जिला सीकर।
13. सहायक निर्देशक, झुकान एवं जनन सम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
14. आयुक्त नगर परिषद, सीकर/समरत अधिकारी अधिकारी नगर पालिका।
15. निजी सहायक, जिला कलक्टर, सीकर।
16. संबंधित थानाधिकारी..... को पालनश्वर्य (द्वारा जिला पुलिस अधीकार, सीकर)।
17. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड लि., ऐररटेल, बोडाफोन, आईडिया, एपरसेल, एमटीएस, टाटा रिलायन्स जिला अधि. को पालनश्वर्य (द्वारा जिला पुलिस अधीकार, सीकर)।
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय द्वाजा/पुलिस अधीकार कार्यालय/समरत उपखण्ड/तहसील कार्यालय पर चस्पा हेतु।

  
जिला मणिस्ट्रेट, सीकर

कार्यालय	पुलिस	अधीक्षक	जिला	धौलपुर	(राज0)
क्रमांक:- 40				दिनांक:- 21/4/2018	
जिला कलक्टर,					
धौलपुर।					

विषय:- दिनांक 02.04.2018 को दलित वर्ग द्वारा भारत बन्द के दौरान इन्टरनेट की सुविधा बन्द कराने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 02.04.2018 को दलित वर्ग द्वारा भारत बन्द के दौरान हुये धरना/प्रदर्शन के दौरान असामाजिकतत्वों द्वारा इन्टरनेट (सोशल मीडिया) पर झूँठी अफवाह फैलाने एवं हिंसात्मक घटनाओं को मध्य नजर रखते हुये असामाजिकतत्वों द्वारा इनकी सक्रियता को निष्क्रिय किये जाने हेतु आज दिनांक 02.04.2018 से कल दिनांक 03.04.2018 समय 02.00 पी0एम0 तक जिला धौलपुर में इन्टरनेट सुविधा बन्द करवाई जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार समय पर इन्टरनेट सुविधा बन्द करवाये जाने हेतु रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



भवदीय,

  
(राजेश सिंह )  
जिला पुलिस अधीक्षक,  
धौलपुर।

१४६

राजस्थान सरकार,  
कार्यालय जिला मणिस्ट्रेट, सीकर

क्रमांक: ५८६ / न्याय/ 2018

दिनांक: 02.04.2018

आदेश

जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर ने पत्र क्रमांक सीकर/डि.प्र.जि/2017/११८, दिनांक 02.04.2018 द्वारा यह अवगत कराया है कि सीकर जिले में दिनांक 21.03.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाहि अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम में जारी दिशा निर्देशों के विरोध में दिनांक 02.4.2018 को समरत भारत बंद के दौरान विभिन्न रथानों से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शांति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से वाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु तत्काल नियोगात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये शासन राजीव गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश संख्या एफ35 (1)Home-9/2006pt. दिनांक 2.9.2017 के तहत Temporary Suspension of Telecom Service (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 के नियम 2 (1) के क्रम में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को प्रदत्त Telecom Service के अरक्षाई नियमन की शक्तियां के अनुसरण एवं माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर, संभाग जयपुर के अनुमोदन से, मैं नरेश कुमार ठकराल, जिला मणिस्ट्रेट, सीकर जिला आदेश के सम्पूर्ण सीकर जिले में 2G/3G/4G/Data, internet Services, bulk SMS/MMS/WhatsApp, facebook, twitter and other Social Media by internet service Providers (except voice call of landline, mobile Phone and landline internet) पर अरक्षाई प्रतिबंध लागू करता हूँ।

मैं, सभी नामियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह सकाम प्रवालनों के अन्तर्गत अधियोगित किया जा सकता है।

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2018 को दोपहर 1:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक सीकर जिले के समस्त पुलिस थाना बोर्डों की सम्पूर्ण सीमों के प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2018 को माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर, संभाग जयपुर के अनुमोदन पश्चात्, मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।


  
(नरेश कुमार ठकराल)  
जिला मणिस्ट्रेट, सीकर

क्रमांक: ५८६ / न्याय/ 2018

दिनांक: 02.04.2018

नियम की सूचीबद्ध एवं पालनार्थ प्रवित है।

१. पुनर्वाप्त शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
२. संभागीय आयुक्त, जयपुर राजाग, जयपुर।
३. पुलिस अधीक्षक, पुलिस रेज, जयपुर।
४. समस्त जिला मणिस्ट्रेट, संभागान।
५. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबोधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु जिजा जावे।
६. अंतिम जिला मणिस्ट्रेट, सीकर।
७. मुख्य कार्यालयी अधिकारी सिला परिषद, सीकर।
८. समस्त कार्यालयी अधिकारी सिला परिषद।
९. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, सिला सीकर।
१०. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, सिला सीकर।
११. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, सिला सीकर।
१२. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, सिला सीकर।
१३. सहाय्यक नियेसार, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, सीकर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
१४. आयुक्त नगर परिषद, सीकर/समस्त अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी नगर पालिका।
१५. निजी शाहकार, जिला सीकर।
१६. संबोधित धारानीयी को पालनार्थ द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।
१७. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार नियम लिंगेट्रेड रिले, एवरटेल, दोडापोन, आईडिया, एवरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलाक्स जिन्हों अविकार को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर)।
१८. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/तहसील कार्यालय पर वस्ता हेतु।

  
जिला मणिस्ट्रेट, सीकर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला मणिस्ट्रेट, सीकर

182

क्रमांक: 587 / न्याय / 2018

दिनांक: 2.04.2018

आदेश

जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर ने पत्र क्रमांक सीकर/जिविशा/2017/1132 दिनांक 2.4.2018 द्वारा यह घोषित कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम में जारी दिशा निर्देशों के विरोध में दिनांक 2.4.2018 को समरत भारत बंद के दौरान विभिन्न रथानों से कानून व्यवस्था नी खिति प्रभावित होने, लोक शांति भग्न होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से वाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी खिति में कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु तत्काल नियंत्रण कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिणियताओं को दृष्टिगत रखते हुये शासन संघित यूह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश संख्या एफ36 (1)Home-9/2006pt. दिनांक 2.9.2017 के तहत Temporary Suspension of Telecom Service (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017 के नियम 2 (1) के कम में माननीय संभागीय ग्राम्यकृत महोदय को प्रदत्त Telecom Service के अस्थाई निलम्बन की शक्तियां के अनुसारण एवं माननीय संभागीय ग्राम्यकृत महोदय के अनुमोदन से, में नियंत्रण कुमार ठकराल, जिला मणिस्ट्रेट, सीकर जिला मणिस्ट्रेट, सीकर से 2G/3G/4G/Data, internet Services, bulk SMS/MMS/Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by internet service Providers (except voice call of landline, mobile Phone and landline internet) पर अस्थाई प्रतिवेद लागू करता है।

गैरि नागरिकों को इस आदेश की वालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिवेदात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह समग्र प्रावधानों के अन्तर्भृत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 2.4.2018 वो रात्रे 8:00 बजे से दिनांक 3.4.2018 को रात्रि 11:30 बजे तक सीकर जिले के समरत पुलिस थाना थेट्रों की सम्पूर्ण सीमा थेट्रों में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 2.4.2018 को माननीय संभागीय ग्राम्यकृत महोदय, जयपुर, संभाग जयपुर के अनुमोदन पश्चात्, मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

  
(नियंत्रण कुमार ठकराल)  
जिला मणिस्ट्रेट, सीकर

दिनांक: 2.4.2018

क्रमांक: 587 / न्याय / 2017 /

नियम को सूचनार्थ एवं पारिनार्थ प्रोत्तिष्ठित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, यूह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. नियंत्रणकारी, पुलिस थेट्र, जयपुर।
4. समरत जिला मणिस्ट्रेट, संभाग।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेता है कि इकत्त आदेश संबंधित समरत पुलिस अधिकारियों को वालना द्विनियमित करने हेतु भेज जानी।
6. अधिक जिला मणिस्ट्रेट, सीकर।
7. मुख्य व्यापारी अधिकारी जिला परिषद, सीकर।
8. समरत कार्यालयक मणिस्ट्रेट।
9. समरत उपर्युक्त मणिस्ट्रेट।
10. समरत उपर्युक्त अधिकारी पद्धतियां संभालते हैं।
11. समरत विकास अधिकारी पद्धतियां संभालते हैं।
12. समरत उपर्युक्त अधिकारी पद्धतियां संभालते हैं।
13. संभाग नियंत्रण, सूचना एवं जाति समर्क कार्यालय, सीकर का व्यापक प्रकार-प्रकार हेतु।
14. अनुसूचित नगर परिषद, ठेकर/समरत अधिकारी अधिकारी नगर परिषद।
15. नियंत्रण सहायक, जिला सीकर।
16. संबंधित व्यापारी।
17. नाडल अधिकारी, टेलीवीजन मारत संचार नियम जिमिटेट लि. एयरटेल, बोडक्षन, आईडिया, एयरसेल, एमटीएस, टाटा, रिलायन्स जियो अदि की पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर)।
18. नोटिस वार्ड, कार्यालय फाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समरत उपर्युक्त/तहसील कार्यालय पर वर्तम हेतु।

  
जिला मणिस्ट्रेट, सीकर

*रात्रि ८:०० पर्याप्त का*  
*२०१८ अप्रैल २०१८*

## कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांक:-एफ 17/14 न्याय /Int.Susp./2018/ २५७५-१८ दिनांक २५/५/१८

✓ श्रीमती तृप्ति जैन,  
निवासी के-9, द्वितीय फ्लोर,  
बीरबल रोड, जंगपुरा विस्तार,  
नई दिल्ली-110014

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत श्रीमती तृप्ति जैन, निवासी के-9, द्वितीय फ्लोर, बीरबल रोड, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली-110014 द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शासन संयुक्त सचिव, गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 19.04.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित कर, बिन्दु संख्या 1 से 6 तक सूचना उपलब्ध कराने बाबत अंतरित किया है। आप द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	How many times have internet services been suspended pursuant to Government order in the state of Rajasthan since 7th August, 2017 till date?	<p>उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों क्रमशः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द एवं उदयपुर जिलों में लोकशांति भंग होने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने से कानून व्यवस्था की स्थिति को सुचारू बनाये रखने बाबत निम्नांकित आदेशों से इन्टरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से बन्द की गई और इनकी निरन्तरता में निम्नांकित आदेशों से अस्थाई निषेधाज्ञा अवधि को बढ़ाया गया—</p> <p><u>जिला: बांसवाड़ा</u></p> <p>7 अगस्त, 2017 से आदिनांक तक जिला बांसवाड़ा में इन्टरनेट बन्द किये जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा लागु नहीं की गई।</p> <p><u>जिला: चित्तौड़गढ़</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/8939-51 दिनांक 02.12.2017 से दोपहर 04:00 बजे से 24 घण्टे तक के लिए चित्तौड़गढ़ जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</li> <li>इसी क्रम में संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/8952 दिनांक 03.12.2017 से</li> </ol>

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
		<p>दोपहर 04:00 बजे से 24 घण्टे तक के लिए चित्तौड़गढ़ जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p>3. इसी कम में संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/8961-73 दिनांक 04.12.2017 से दोपहर 04:00 बजे से 24 घण्टे तक के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेडा कस्बे व उपखण्ड निम्बाहेडा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र तक।</p> <p>4. इसी कम में संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/9029 दिनांक 05.12.2017 से दोपहर 04:00 बजे से 24 घण्टे तक के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेडा कस्बे व उपखण्ड निम्बाहेडा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र तक।</p> <p>5. इसी कम में संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/9048 दिनांक 06.12.2017 से दोपहर 04:00 बजे से 24 घण्टे तक के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेडा कस्बे व उपखण्ड निम्बाहेडा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र तक।</p> <p><b>जिला: छूंगरपुर</b></p> <p>6. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2018/1985 दिनांक 02.04.2018 से सायं 6:00 बजे से दिनांक 03.04.2018 को सायं 6:00 बजे तक के लिए छूंगरपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p>7. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2018/2037 दिनांक 03.04.2018 से सायं 6:00 बजे से दिनांक 04.04.2018 को सायं 6:00 बजे तक के लिए छूंगरपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p><b>जिला: प्रतापगढ़</b></p> <p>8. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/3684-96 दिनांक 01.10.2017 से रात 11.00 बजे से आगामी 24 घण्टे तक के लिए प्रतापगढ़ जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p><b>जिला: राजसमन्द</b></p> <p>9. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/525 दिनांक 06.12.2017 से रात 09.00 बजे से आगामी 24 घण्टे तक के लिए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p>10. इसी कम में संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/526 दिनांक 07.12.2017 से रात 09.00 बजे से आगामी 24 घण्टे तक के लिए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p>

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
		<p>11. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2017/534 एवं 535 दिनांक 14.12.2017 से रात 11.00 बजे से आगामी 24 घण्टे तक के लिए राजसमन्द जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p><u>जिला: उदयपुर</u></p> <p>12. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ. न्याय/2017/532 दिनांक 13.12.2017 से रात 08.00 बजे से आगामी 24 घण्टे तक के लिए उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p>13. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ. न्याय/2017/533 दिनांक 14.12.2017 से रात 08.00 बजे से आगामी 24 घण्टे तक के लिए उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p>14. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ. न्याय/2017/540 दिनांक 15.12.2017 से रात 08.00 बजे से आगामी 24 घण्टे तक के लिए उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p>15. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ. न्याय/2017/541 दिनांक 16.12.2017 से दिनांक 16.12.2017 सायं 5:00 बजे तक के लिए उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p> <p>16. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ. न्याय/2018/1972 दिनांक 02.04.2018 से दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक के लिए उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा तक।</p>
2	Under what provision of law were Internet suspension orders issued in each instances between 7 <sup>th</sup> August and now?	राज्य सरकार के गृह विभाग (ग्रुप-9), जयपुर दिनांक 02.09.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों (In exercise of the powers conferred by Rule 2(1) of the Temporary suspension of Telecom Services (Public emergency or Public safety Rules 2017)) का प्रयोग करते 2G/3G/4G Data, Internet Services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, Facebook, Twiter and other Social media by internet service providers (except voice call of land line and mobile phone) अनाधिक अस्थाई निषेद्धाज्ञा (Temporary Suspension) जारी की जाती है।
3	How many times have internet services been suspended in the state under the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017?	बिन्दु संख्या 1 में दिये प्रत्युत्तर अनुसार संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उदयपुर संभाग के समस्त जिलों में 16 बार इन्टरनेट अस्थाई निषेद्धाज्ञा लागू की गई।

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
4	Please provide copies of all available Internet suspension orders issued between 7 <sup>th</sup> August, 2017 and now under any provisions of law.	उपरोक्त आदेशों एवं नियमों की प्रतियां, जो की 21 पृष्ठों में हैं, नियमानुसार शुल्क (₹.42) जमा करा इस कार्यालय के आर.टी.आई. अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
5	Was the operation of any Internet suspension order issued between 7 <sup>th</sup> August, 2017 and now extended by a subsequent order? If yes, please provide copies of the extension orders.	बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आदेशों से इन्टरनेट अस्थाई निषेद्याज्ञा की समयावधि को बढ़ाया गया।
6	When were the Internet services restored in case of Internet suspension orders issued between 7 <sup>th</sup> August, 2017 and now?	उपरोक्त आदेशों में वर्णित समयावधि की समाप्ति पर इन्टरनेट सेवाएं प्रदाता कम्पनियों द्वारा सेवाएं पुनः आरंभ की गईं।

भवदीय,

सहायक लोक सूचना अधिकारी  
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)

उदयपुर

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही—

- शासन संयुक्त सचिव, गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- प्रभारी, आर.टी.आई. अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 2584 दिनांक 23.04.2018 के क्रम में प्रति भेज लेख है कि सम्बन्धित आदेशों एवं नियम की प्रतियां (जो 21 पृष्ठ में होकर संलग्न हैं) सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क (42 रु) जमा होने के उपरान्त प्रार्थी को प्रदान करावें।

— 5 —

सहायक लोक सूचना अधिकारी  
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)

उदयपुर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज०)  
क्रमांक / न्याय / 2018 / १९७२

—::आदेश::—

दिनांक 2.4.2018

जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आपराधिक अपील संख्या 416/2018 डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 20-03-2018 के संबंध में आज दिनांक 2-4-2018 को अनुसूचित जाति/जनजाति के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भारत बंद के समर्थन में उदयपुर बन्द का आहवान विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किये जाने से तथा देश में कई जगह हिंसा एवं आगजनी होने एवं उदयपुर शहर में भी सोशल मीडिया के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किये जाने के समावना है, जिससे लोकशांति भंग होने और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता को कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः उक्त क्रम में जिले में लोक शांति बनाये रखने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं भवानी सिंह देशा, संभागीय आयुक्त, उदयपुर, राज्य सरकार के गृह विभाग (गूप-9) के आदेश क्रमांक / 35(1) (Home-9)/2006 Pt. जयपुर दिनांक 02.09.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों (In exercise of the powers conferred by Rule 2(1) of the Temporary suspension of Telecom Services (Public emergency or Public safety Rules 2017)) का प्रयोग करते हुए उदयपुर शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2G/3G/4G Data, Internet Services, Broad Band Services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, Facebook, Twiter and other Social media by internet service providers (except voice call of land line, mobile phone and all lease line) आज दिनांक 2-4-2018 को 2-00 बजे से रात्रि 8-00 बजे तक अनाधिक अस्थाई निषेधाज्ञा (Temporary Suspension) जारी की जाती है।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 2-4-2018 को दोपहर 2-00 बजे से रात्रि 8-00 बजे तक के लिए उदयपुर शहर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

(भवानी सिंह देशा)  
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांक / न्याय / 2018 / १९७२

दिनांक 2.4.2018

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ।
3. महानिरीक्षक, पुलिस, उदयपुर रेज, उदयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट ..... राजस्थान।
6. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश सम्बन्धित समस्त पुलिस अधिकारियों तथा जिले के नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनीज को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
8. समस्त पुलिस उप अधीक्षक ..... जिला
9. आयुक्त नगर निगम, उदयपुर।
10. समस्त थानाधिकारी ..... जिला उदयपुर।
11. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायन्स, जिओ को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक उदयपुर)।
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील कार्यालय पर चस्पा हेतु।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर